

दिनांक 31.05.2016 को कृषि विभाग के सभा कक्ष में कृषि निदेशक, बिहार की अध्यक्षता में आयोजित राज्यस्तरीय मासिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:- पंजी में संघारित।

1. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना :- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं हरित क्रांति योजना का लक्ष्य के संबंध में सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को सूचित किया कि खरीफ अभियान 2016 प्रारम्भ हो गया है तथा जिलावार कार्यक्रम/लक्ष्य सभी संयुक्त निदेशक, शष्य एवं जिला कृषि पदाधिकारी को ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध करा दिया गया है। सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक(शष्य) को निदेश दिया गया कि जिन जिलों में कृषि समन्वयक हड़ताल पर है, उसकी सूची अविलम्ब उपलब्ध कराई जाय।

(अनु0- सभी संयुक्त निदेशक, शष्य एवं जिला कृषि पदाधिकारी)

2. फसल क्षति/डीजल अनुदान/फसल आच्छादन :-

- 2.1 सूचित किया गया कि ओलावृष्टि से संबंधित कृषि इनपुट अनुदान वितरण से सम्बन्धित अवषेष राषि का उपयोगिता प्रमाण पत्र पटना, सारण, सिवान, दरभंगा एवं जमुई से अभी तक अप्राप्त है। इसे दो दिनों के अंदर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
- 2.2 खरीफ डीजल अनुदान मद का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन पटना, बक्सर, गया, अरवल, नवादा, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, दरभंगा, जमुई, पूर्णिया एवं कटिहार से अभी तक अप्राप्त हैं। औरंगाबाद जिले से अनुसूचित जनजाति का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन अप्राप्त है। एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
- 2.3 रबी डीजल अनुदान मद का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन पटना, बक्सर, गया, अरवल, नवादा, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, दरभंगा, जमुई, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया एवं कटिहार अप्राप्त है तथा शेखपुरा जिला से अनुसूचित जनजाति का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन अप्राप्त है। एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
- 2.4 गया, मुजफ्फरपुर एवं पूर्वी चम्पारण जिले से संयुक्त रूप से खरीफ एवं रबी डीजल अनुदान का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। इसे अलग-अलग भेजने का निदेश दिया गया।
- 2.5 खरीफ 2015 में श्री विधि, संकर प्रभेदों के प्रत्यक्षण एवं गैर प्रत्यक्षण स्थल तथा सामान्य विधि से फसल जाँच कटनी प्रतिवेदन रोहतास, अरवल एवं औरंगाबाद जिला से अप्राप्त है। मुजफ्फरपुर जिला से प्रखंडवार औसत उत्पादकता का प्रतिवेदन प्राप्त है परन्तु प्रतिवेदन में फसल जाँच कटनी प्रयोगों की संख्या नहीं है। पूर्वी चम्पारण का प्रतिवेदन में फसल कटनी प्रयोगों की संख्या बहुत ज्यादा दर्शाया गया है। सहरसा जिला से कंट्रोल प्लॉट का प्रतिवेदन अप्राप्त है। किशनगंज जिला से संकर धान प्रत्यक्षण एवं गैर प्रत्यक्षण का प्रतिवेदन अप्राप्त है। एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
- 2.6 रबी 2015-16 में स्वी विधि प्रत्यक्षण एवं गैर प्रत्यक्षण, जीरो टिलेज प्रत्यक्षण एवं गैर प्रत्यक्षण तथा सामान्य विधि से गेहूँ फसल की फसल जाँच कटनी प्रतिवेदन पटना, नालन्दा, बक्सर, रोहतास, भभुआ, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, सिवान, पूर्वी चम्पारण, प० चम्पारण, वैशाली, लखीसराय, जमुई, खगड़िया, सुपौल, मधेपुरा एवं अररिया जिला से अप्राप्त है। मुजफ्फरपुर एवं गोपालगंज जिला से औसत उत्पादकता प्राप्त है परन्तु कटनी की संख्या नहीं दी गई है। एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
- 2.7 खरीफ 2016-17 में वर्षापात एवं धान बीचड़ा, धान, मक्का एवं अन्य खरीफ फसलों के आच्छादन का प्रखंडवार प्रतिवेदन जून माह से प्रत्येक दिन भेजने का निदेश दिया गया।

2.8 निदेश दिया गया कि जून माह से वर्षापात, धान बिचड़ा आच्छादन, धान, मक्का एवं अन्य फसलों का आच्छादन प्रतिवेदन प्रतिदिन सांख्यिकी कोषांग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

(अनुपालन – कंडिका 2.1 से 2.8 संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

### 3. कृषि यांत्रिकीकरण :-

3.1 कृषि यांत्रिकरण राज्य योजना वर्ष 2015-16 की समीक्षा के क्रम में वितरित कृषि यंत्रों पर देय अनुदान एवं कोषागार से निकासी की गयी राशि में कतिपय जिलों में भिन्नता पायी गयी। वितरित अनुदान राशि को Software में update करने हेतु Software को 10.06.2016 तक पुनः खोला गया है। उक्त तिथि तक शत-प्रतिशत update नहीं करने वाले जिला कृषि पदाधिकारी स्वयं इसके लिए जिम्मेवार होंगे।

3.2 कतिपय जिला कृषि पदाधिकारियों द्वारा बतलाया गया कि HDPE सिंचाई पाईप में उद्यान निदेशालय द्वारा 70% अनुदान देने का प्रावधान किया गया है, जबकि कृषि यांत्रिकरण राज्य योजना में अधिकतम 50% अनुदान दिया जाना है। विमर्शोपरांत बैठक में निर्णय लिया गया कि कृषि यांत्रिकरण राज्य योजना 2016-17 में HDPE सिंचाई पाईप के संबंध में यांत्रिकीकरण नोडल पदाधिकारी द्वारा उचित प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार से आदेश प्राप्त करेंगे।

3.3 कृषि यांत्रिकरण राज्य योजना 2016-17 के प्रस्तावित लक्ष्य से सभी जिला कृषि पदाधिकारी/संयुक्त निदेशक (शष्य) को अवगत कराया गया।

3.4 SMAM योजना अन्तर्गत कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना एवं Flexi fund की राशि का शत-प्रतिशत उपयोगिता प्रमाण-पत्र शीघ्रताशीघ्र उपलब्ध कराने का निदेश सभी DAO एवं JDA को दिया गया।

3.5 आज की बैठक में कृषि यांत्रिकरण सॉफ्टवेयर में आधार कार्ड को अत्यावश्यक दस्तावेज के रूप में किसानों से लिये जाने का निर्णय लिया गया तथा इसे सॉफ्टवेयर में प्रावधान करने के लिए NIC को पत्र भेजने का भी निर्णय लिया गया।

3.6 कतिपय जिला कृषि पदाधिकारियों द्वारा स्वीकृति पत्र के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से स्वयं किसान द्वारा स्वीकृति पत्र का Print out निकालने का सुझाव दिया गया। फलस्वरूप किसान को भी E-mail ID बनाना होगा। इस आशय की जानकारी NIC पटना को दी जाय।

3.7 वर्ष 2013-14 में अनुदानित दर पर वितरित कृषि यंत्रों का सत्यापन प्रतिवेदन नालंदा, अरवल, नवादा, सारण, सिवान, सीतामढ़ी, वैशाली, शिवहर, बेगूसराय, पूर्णियाँ, किशनगंज, कटिहार, लखीसराय, शेखपुरा जिलों से अप्राप्त है। सम्बंधित जिला कृषि पदाधिकारी को सत्यापन प्रतिवेदन शीघ्र समर्पित करने का निदेश दिया गया।

(अनु0- कंडिका 3.1 से 3.7 संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

### 4. कोर्टकेश/अवमाननावाद -

4.1 सूचित किया गया कि गत बैठक में सी0डब्लू0जे0सी0/एम0जे0सी0/एल0पी0ए0 से संबंधित कोर्टकेश के विषय में सभी संबंधित पदाधिकारियों को जानकारी दी गयी थी। इसमें प्रगति हुई है लेकिन अभी भी बहुत से मामलें लम्बित है। लम्बित मामलों की जानकारी सभी संबंधित पदाधिकारियों को दी गयी तथा निदेश दिया गया कि इस पर अविलम्ब कार्रवाई करते हुए शपथ पत्र दायर किया जाय। निदेश दिया गया कि यदि निदेशालय स्तर से तथ्य विवरणी अनुमोदित कर उपलब्ध करा दिया गया है, तो उसका शीघ्र शपथ पत्र दायर कर ओथ संख्या उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। यदि तथ्य विवरणी तैयार करने में कोई कठिनाई हो रही हो तो सरकारी वकील से मिलकर अंतरिम तथ्य विवरणी तैयार कर शपथ पत्र दायर किया जाय।

4.2 जिला कृषि पदाधिकारी, पटना, भोजपुर एवं लखीसराय को उनके यहाँ लम्बित कोर्टकेश का तीन दिनों के अंदर शपथ पत्र दायर कर सूचित करने का निदेश दिया गया।

- 4.3 जिला कृषि पदाधिकारी, सारण, कैमूर, नवादा एवं भागलपुर को किसान सलाहकार से संबंधित कोर्ट केश मामलें को तीन दिनों के अन्दर निष्पादित करने का निदेश दिया गया।

(अनु०-4.1 से 4.3- संबंधित सं०नि०, शष्य/जिला कृषि पदाधिकारी)

5. अंकेक्षण :- अपर निदेशक, शष्य, बिहार, द्वारा सूचित किया गया कि वित्त अंकेक्षण के आपत्ति निराकरण हेतु दिनांक 01.06.2016 से निदेशालय स्तर पर प्रमंडलवार समीक्षा की जाएगी। इसमें प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) एवं जिला कृषि पदाधिकारी, अपने प्रतिनिधि को वांछित कामजात के साथ भेजकर संबंधित कंडिका का अनुपालन करायेंगे।

(अनु०-सभी संयुक्त निदेशक, शष्य एवं जिला कृषि पदाधिकारी)

## 6. बीज

- 6.1 सूचित किया गया कि हरी चादर योजना अंतर्गत मूंग एवं ढैंचा का बीज वितरण आच्छादन एवं लाभान्वितों की संख्या संबंधी प्रतिवेदन बक्सर एवं पूर्णिया जिला से अभी तक अप्राप्त है। समीक्षा के क्रम में कैमूर जिला में ढैंचा बीज वितरण की स्थिति संतोषजनक नहीं पायी गयी इस जिला में ढैंचा बीज वितरण का लक्ष्य- 3000 क्वी० के विरुद्ध अभी तक 387.76 क्वी० बीज का वितरण हुआ है। संयुक्त निदेशक, शष्य, पटना प्रमंडल, पटना को इसकी जाँच कर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(अनु०- सं०नि०शष्य, पटना प्रमंडल, पटना)

- 6.2 उप निदेशक, शष्य बीज विश्लेषक, बिहार द्वारा सूचित किया गया कि राज्य में मूंग का 475 बीज नमूना प्राप्त हुआ है जिसमें से 474 नमूना जाँच किया गया है एवं सभी नमूना मानक पाया गया है। राज्य में ढैंचा बीज का 727 नमूना लिया गया है जिसमें से 702 नमूना का जाँच हुआ है एवं जो सभी मानक पाया गया है। ढैंचा बीज का 25 नमूना अभी जाँच की प्रक्रिया में है। गया जिला में बीज निरीक्षक द्वारा लिए गए ढैंचा बीज का तीन नमूना अमानक पाया गया है। निदेश दिया गया कि जहाँ बीज अमानक पाया जाता है वहाँ पर उस लॉट के बीज का भुगतान नहीं किया जाय।
- 6.3 बी०आर०बी०एन० द्वारा मूंग एवं ढैंचा बीज वितरण संबंधी तीन प्रपत्र में प्रतिवेदन की मांग सभी जिला कृषि पदाधिकारियों से की गयी थी, जिसमें मात्र गया जिला से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। उसमें भी बीज नमूना संबंधी प्रतिवेदन नहीं दिया गया है। शेष जिलों से प्रतिवेदन अप्राप्त है। दो दिनों के अन्दर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है।
- 6.4 सूचित किया गया कि श्री विधि से धान प्रत्यक्षण एवं अन्य योजना हेतु विभिन्न प्रभेदों के धान बीज बी०आर०बी०एन० के सभी केन्द्रों पर उपलब्ध हैं। सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को दो दिनों के अन्दर बी०आर०बी०एन० के केन्द्र से बीज का उठाव करने का निदेश दिया गया। निदेश दिया गया कि बी०आर०बी०एन० द्वारा आवंटित बीज का शत-प्रतिशत उठाव कराया जाय। बीज के प्रत्येक लॉट से बीज नमूना लेने एवं बीज के गुणवत्ता को ध्यान में रखने का निदेश दिया गया।
- 6.5 उप निदेशक(शष्य) बीज द्वारा सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को जानकारी दी गयी कि सभी फसलों का पर्याप्त मात्रा में बीज सरकारी एवं निजी कंपनियों के पास उपलब्ध है, इसलिए आवश्यकता के अनुसार बीज की मांग संबंधित बीज कंपनियों से शीघ्र की जाय। क्योंकि बीज उपलब्धता पर ही योजना की सफलता निर्भर करेंगी।
- 6.6 मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार कार्यक्रम खरीफ 2016 हेतु पूर्ण धान बीज बी०आर०बी०एन० से उपलब्ध हो जाएगा। अरहर बीज की कुछ मात्रा अन्य सरकारी बीज कंपनियों से लेनी होगी इसलिए अभी से बीज की व्यवस्था करने का निदेश दिया गया।

- 6.7 मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार कार्यक्रम खरीफ 2015 का प्रगति प्रतिवेदन अभी भी जहानाबाद, अरवल, मधेपुरा एवं कटिहार से अप्राप्त है। इसे दो दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
- 6.8 एकीकृत बीज ग्राम योजना खरीफ, 2015 का प्रगति प्रतिवेदन अभी तक भोजपुर जिला से अप्राप्त है। इसे दो दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
- 6.9 मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना, एकीकृत बीज ग्राम योजना एवं अनुदानित दर पर प्रमाणित गेहूँ बीज वितरण, रबी 2015-16 का प्रतिवेदन अभी तक कैमूल, जहानाबाद, अरवल, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, दरभंगा, सुपौल, मधेपुरा एवं पूर्णिया से अप्राप्त है। इसे दो दिनों के अन्दर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
- 6.10 निदेश दिया गया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 का अगर कोई बकाया संबंधी मामला हो तो बकाया राशि की मांग कारण सहित दिनांक 01.06.2016 तक उपलब्ध कराया जाय।

(अनु0- कंडिका 6.2 से 6.10 संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी)

**7. जैविक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम :-**

- 7.1 वरीय प्रभारी पदाधिकारी, जैविक प्रोत्साहन कोषांग द्वारा बताया गया कि जैविक खेती प्रोत्साहन योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 में कुल 12977 लाख रू० की योजना प्राधिकृत समिति से स्वीकृति हेतु उपस्थापित किया गया है।
- 7.2 वित्तीय वर्ष 2016-17 से व्यक्तिगत स्तर पर किसानों के लिए वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन हेतु एच.डी.पी.ई. वर्मी कम्पोस्ट इकाई को समाप्त कर दिया गया है एवं इसके लक्ष्य को पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई में परिवर्तित कर दिया गया है।
- 7.3 किसानों को 02 घनमीटर गोबर गैस संयंत्र की स्थापना कर लागत मूल्य का 50 प्रतिशत अधिकतम 19000 रू० अनुदान का प्रावधान किया गया है।
- 7.4 सभी जिला कृषि पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जैविक खेती प्रोत्साहन योजना के तीन घटक यथा-पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई, जैव उर्वरक वितरण एवं गोबर गैस कार्यक्रम कृषि रोड मैप के परफारमेंस इंडिकेटर में शामिल है, इस पर विशेष रूप से ध्यान देकर शत-प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करें।
- 7.5 सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को अपने जिलान्तर्गत व्यवसायिक स्तर पर वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन इकाई का प्रति माह उत्पादन संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।
- 7.6 वित्तीय वर्ष 2015-16 में जैविक खेती प्रोत्साहन योजनान्तर्गत गोबर गैस कार्यक्रम में 5000 लक्ष्य के विरुद्ध 2515 की उपलब्धि हुई थी। सभी जिला कृषि पदाधिकारी को वित्तीय वर्ष 2016-17 में पूर्ण लक्ष्य प्राप्त करने का निदेश दिया गया।

(अनु0- कंडिका 7.2 से 7.6 सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

**8. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन :-**

- 8.1 खरीफ 2016 में लिए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को दी गयी तथा लक्ष्य के अनुसार सभी कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने एवं बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।
- 8.2 सूचित किया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, दलहन अंतर्गत इस वर्ष से प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्रम क्रियान्वित किया जाना है। इसके लिए प्रखंडवार प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
- 8.3 निदेश दिया गया कि पंचायत के एक गाँव में 20 से 25 एकड़ का कलस्टर का चयन कर प्रत्येक कलस्टर के लिये तकनीकी परामर्षी को सम्बद्ध किया जाय।

